

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या :- 38/2025

महेन्द्र आदि बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख

अहकाम जो इस

हुकम की तामील में

जारी हुए

15.05.2025

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम राजीव नगर पटवार हल्का देरवाला तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 197 व 199 कुल रकबा 0.55 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदकगण उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण महेन्द्र सिंह मीणा व चन्द्रपाल मीणा के पिता का नाम भगूता गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में भंवरा है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरुस्त किया जाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरा दुरुस्त करने की अनुशंषा की है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजीव नगर पटवार हल्का देरवाला तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 197 व 199 कुल रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थीगण महेन्द्र सिंह मीणा व चन्द्रपाल मीणा के पिता का नाम भगूता की बजाय भंवरा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)